कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय प्रतापगढ
(मुख्यालय अरनोद)
Email ID:- eearnod@gmail.com Fax No.:- 01479-242243

क्रमांकः—**163** दिनांकः—**20-06-2024**

श्रीमान् उपवन संरक्षक
जिला प्रतापगढ़।
Email ID:- dcfptg123@gmail.com

विषयः—Construction of Upgradation Rural from T11-Suhagpura to Achalawada Upto Block Border road km 0/0 to 8/000 (Proposal No. FP/RJ/Road/127971/2021 के सम्बन्ध में।

प्रसंगः—आपके पत्रांक एफ./तक./उवसं/2024/5710 दिनांक 07/06/2024 के क्रम में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसागिंक पत्र के क्रम में निवेदन है कि श्रीमान् विशिष्ट शासन सचिव के पत्रांक 1(40)वन/2024 दिनांक 23.05.2024 एवं आपके द्वारा उक्त सडक के प्रस्ताव में जो कमियां बताई गई थी, उनकी पूर्ति कर ऑनलाईन पार्ट i में FRA का प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है तथा हार्ड कॉपी सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान् को प्रस्तुत है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि.खण्ड II प्रतापगढ़
मुख्यालय अरनोद

Annexure-I

FORM-I
(For linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector Pratapgarh

No :- REV/FRA-2006/2546 **Dated 17-08-2022**

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.62** hectare of forest land proposed to be diverted in favor of Executive Engineer PWD Block-II Pratapgarh for Construction of Up gradation Rural road From T-11 Suhagpura to Achlawada Up to Block Border Road KM 0/0 to 8/0 KM in Pratapgarh district falls within jurisdiction of Pathar, Kuni, Sujanpura, Panawala, Dangpura village(s) in Suhagpura tehsils.

It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.62** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.01. To 04 annexure ....

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Enclose. as above.

(Sourabh Swami)
District Collector,
Pratapgarh

Anx - 1
DLC

सत्यमेव जयते

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

E-mail :– dm-pra-rj@nic.in Fax No. 01478–222262

कमांक : राजस्व / FRA–2006 / DLC / 2022 / 2533 दिनांक :– 17.08.2022

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008–2012 के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2022 को जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान निम्नांकितानुसार अधिकारी पदाधिकारी मनोनित सदयगण उपस्थित रहें।

क्र.सं.	नाम अधिकारी / सदस्य	पद	विभाग	पदनाम
01	श्री सौरभ स्वामी	जिला कलक्टर	राजस्व / प्रशासन	अध्यक्ष
02	श्री सुनील कुमार	उप वन संरक्षक	वन विभाग	सदस्य
03	श्री जितेन्द्र मीणा	उपायुक्त	TAD	सदस्य सचिव
04	श्री पिकेंश पटवा	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य
05	श्रीमती अनिता मीणा	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य
06	श्रीमती चम्पा देवी	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य

बैठक के दौरान कार्यालय से जारी सूचना पत्र क्रमांक :– राजस्व / FRA–2006 / 2022 / 2508–21 दिनांक 08.08.2022 में विहित निम्नांकिंत अनुसार एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. **वनाधिकार के तहत् अस्वीकृत फाईलों की KML के संबंध में** :– इस संबंध में उप वन सरंक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में ऑफ लाईन प्रक्रिया से प्राप्त कुल 15735 व्यक्तिगत दावों में से 8749 स्वीकृत दावों के उपरान्त अस्वीकृत श्रेणी के 6986 वनाधिकार दावों में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के पास उपलब्ध रिकार्ड अनुसार KML योग्य 1322 अस्वीकृत दावों की KML File तैयार कर FSI को प्रेषित की जा चुकी है तथा 3107 अस्वीकृत दावों में आवेदित भूमि का उल्लेख नहीं पाये जाने से KML योग्य नहीं है तथा शेष 2557 अस्वीकृत वनाधिकार पत्रावलीयों के ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों स्तर से वर्ष 2009–10 के दौरान रिकार्ड संधारण के अभाव से उक्त पत्रावलियों का संख्यात्मक आंकड़ा मात्र जिला स्तरीय समिति के पास है।

   किन्तु निरस्त / अस्वीकृत पत्रावलियां रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त निरस्त दावों की KML कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है इस संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की विगत बैठक दिनांक 28.04.2022 के दौरान भी माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित विडियो क्रांफेसिंग तथा अन्य बैठकों के दौरान आयुक्त महोदय TAD द्वारा प्रदत निर्देशों के अनुसार उक्त 2557 मिसिंग दावों का वर्तमान संचालित अभियान में पुनः आवेदन किये जा चुके होगें जिनका निस्तारण भी हो चुका होगा ऐसी स्थिति में उक्त 2557 पूर्व के दावों की संख्या अस्वीकृत 6986 दावों में से कम कर दिये जाने हेतु भी निर्णय लिया गया थां किन्तु आदिनांक तक उक्त दावाकृत संख्यात्मक आंकड़ा TAD विभाग के रिकार्ड पर यथावत् होने से बार बार 2557 दावों के KML की मांग की जा रही है।

   इस संबंध में विगत बैठक दिनांक 28.04.2022 को लिए गए निर्णय अनुसार पुनः प्रमुख शासन सचिव महोदय TAD एवं आयुक्त महोदय TAD उदयपुर को अवगत कराये जाने बाबत् लिखा जाने का निर्णय भी बैठक के दौरान लिया गया।

616

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

2. **वनाधिकार अभियान प्रगति समीक्षा :–** बैठक के दौरान जिले में ऑन लाईन प्रक्रिया से वर्तमान तक प्राप्त कुल व्यक्तिगत दावों 16320 में से 14071 दावे अस्वीकृत किये जा चुके है एवं 799 दावों के जिला स्तरीय समिति स्तर से सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है तथा उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समिति अरनोद से वर्तमान में प्राप्त 83 दावों में से 80 दावों के स्वीकृत योग्य पाये जाने तथा 03 दावे निरस्त योग्य पाये गए है जिनका यथाशीघ्र सत्यापन किया जाना अपेक्षित बताया गया। इस प्रकार DLC स्तर पर वर्तमान तक 882 दावे स्वीकृत हेतु प्राप्त हुए है तथा अवशेष 1185 दावें ग्राम स्तरीय एवं उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समितियों के समक्ष विचाराधीन है जिनके यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गए। इसी प्रकार अभियान अवधी के दौरान सामुदायिक अधिकार से संबंधित प्राप्त कुल 282 दावों में से 217 दावे निरस्त हो चुके है तथा 65 दावे वर्तमान तक ग्राम स्तरीय एवं उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समितियों के समक्ष विचाराधीन है जिनके यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गए।

3. **RDSA Mining LLP को तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के राजस्व ग्राम केलामेला में 10.4162 हैक्टर तथा राजस्व ग्राम दांता में 74.2490 हैक्टर वन भूमि प्रत्यार्वन एवं विपथन हेतु नॉन लिनियर प्रमाण पत्र जारी किये जाने तथा वन भूमि के बदले गैर वन भूमियों की प्रत्यावर्तन कार्यवाही :–** इस संबंध में उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समिति पीपलखुंट के पत्र क्रमांक :– राजस्व/2022/387 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 27.07.2022 के दौरान राज्य सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग जयपुर द्वारा जारी मंशा पत्र क्रमांक :– प.10(6) खान/ग्रुप–2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 अनुसार राजस्व ग्राम केलामेला अन्तर्गत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अन्तर्गत जरिये प्लॉट संख्या 02/2019 क्षेत्र 10.4162 हैक्टर वन भूमि वास्ते खनिज मार्बल हेतु RDSA Mining LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु LOI जारी की गई।

उक्त क्रम में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार राजस्व ग्राम आराजी संख्या 1970 रकबा 15.50 हैक्टर में से 8.0090 हैक्टर तथा आराजी संख्या 1988 रकबा 14.75 हैक्टर में से 2.4072 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 10.4162 हैक्टर वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति केलामेला द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 17.05.2022 के अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत् कोई दावा लम्बित नहीं है और उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड़ स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति केलामेला की सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है।

इसी प्रकार राज्य सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग जयपुर के मंशा पत्र क्रमांक :– प.10(6) खान/ग्रुप–2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा जारी मंशा पत्र अनुसार राजस्व ग्राम दांता अन्तर्गत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अन्तर्गत जरिये प्लॉट संख्या 01/2019 क्षेत्र 74.2490 हैक्टर वन भूमि वास्ते खनिज मार्बल हेतु RDSA Mining LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु LOI जारी की गई उक्त क्रम में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार राजस्व ग्राम दांता की आराजी संख्या 270 रकबा 1.3100 हैक्टर में से 0.9800 हैक्टर एवं आराजी संख्या 271 रकबा 0.0900 हैक्टर में से 0.0450 हैक्टर एवं आराजी संख्या 347 रकबा 0.5000 हैक्टर में से 0.3312 हैक्टर तथा आराजी संख्या 587/357 रकबा 0.9600 हैक्टर एवं आराजी संख्या 588/361 रकबा 0.2500 हैक्टर तथा आराजी संख्या 589/381 रकबा 0.3300 हैक्टर एवं आराजी संख्या 402 रकबा 0.6800 हैक्टर एवं आराजी संख्या 412 रकबा 2.2300 हैक्टर तथा आराजी संख्या 413 रकबा 0.7100 हैक्टर एवं आराजी संख्या 414 रकबा 0.2000 हैक्टर एवं आराजी संख्या 415 रकबा 0.2200 हैक्टर तथा आराजी संख्या 416 रकबा 0.2200 हैक्टर एवं आराजी संख्या 420 रकबा 0.2200 हैक्टर एवं आराजी संख्या 421 रकबा 0.6000 हैक्टर तथा आराजी संख्या 424 रकबा 0.5300 हैक्टर एवं आराजी संख्या 362 रकबा 5.9500 हैक्टर तथा आराजी संख्या 376 रकबा 25.7500 हैक्टर में से 0.1114 हैक्टर एवं आराजी संख्या 363 रकबा 0.9500 हैक्टर एवं आराजी संख्या 364 रकबा 9.2500 हैक्टर में से 3.1861 हैक्टर तथा आराजी संख्या 613/362 रकबा 23.0000 हैक्टर में से 20.4994 हैक्टर एवं आराजी संख्या 614/364 रकबा 6.5000 हैक्टर तथा आराजी संख्या 615/376 रकबा 33.0000 हैक्टर में से 28.5459 हैक्टर कुल किता 22 रकबा 74.2490 हैक्टर वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति दांता ग्राम पंचायत बोरी –पी द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 22.04.2022 के

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत् कोई दावा लम्बित नहीं है, परन्तु राजस्व ग्राम दांता की वन भूमि आराजी संख्या 416 एवं 420 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि का श्री नारायण/विठली हकरू को वनाधिकार पत्र मिला हुआ है तथा आराजी संख्या 413, 414, 415 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि हेतु श्री रंगजी/शारदा हकरू के पक्ष में वनाधिकार पत्र जारीशुदा है तथा आराजी संख्या 424 रकबा 0.53 हैक्टर भूमि पर श्री धीरजमल/काली मंगला के पक्ष में वनाधिकार पत्र स्वीकृत किया हुआ है। इसी प्रकार ग्राम की आराजी संख्या 421 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि पर श्री सुरेश/चम्पा हकरू के पक्ष में जारीशुदा है। उक्त पट्टा धारकों द्वारा अपने अधिकार पत्र जरिये 500/– रूपये तादाती पृथक–पृथक स्टांप पत्रों के राजकीय पक्ष में उक्त अधिकार पत्रों का समर्पण शपथ पत्रों से कर दिया गया है। जिन्हें स्वीकार किये जाने की सिफारिश के साथ उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में अन्य कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति दांता की सिफारिसों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में समर्पित 04 वनाधिकार पत्रों को विलोपित किये जाने के संबंध में आयुक्त महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर को स्पष्ट प्रतिवेदन भिजवाया जाकर उक्त दावों के समस्त स्तरों (SLC एवं MoTA तथा MoEF) से विलोपन कराने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार वन भूमियों के विपथन के फलस्वरूप कमी वन भूमि रकबा की क्षतिपूर्ति हेतु जिला स्तर पर गठीत फोरेस्ट लैण्ड बैंक से गैर–वन भूमियों का प्रत्यावर्तन भी निम्न प्रकार से कर दिया गया है।

क्र. सं.	विपथन हेतु प्रस्तावित वन भूमियों का विवरण				वन भूमियों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्यावर्तित गैर वन भूमियों का विवरण				प्रत्यावर्तन आदेश विवरण
	तहसील क्षेत्र	ग्राम वन भूमि	खसरा संख्या	विपथित रकबा है. में	तहसील क्षेत्र	ग्राम गैर वन भूमि	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तित रकबा हैं. में	
01	पीपलखुंट	केलामेला	1970	8.0090	धरियावद	सेवानगर	68/4	10.50	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :– राजस्व/भू आ/2022–23/2207–13 दिनांक 31.05.2022
02	पीपलखुंट	केलामेला	1988	2.4072					
किता 2				10.4162	किता 01			10.50	
					धरियावद	पहाड़ा	964	4.2092	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :– राजस्व/ भू आ/2022–23/2535–45 दिनांक 17.08.2022
01	पीपलखुंट	दांता	270	0.9800			964/1	5.4435	
02	पीपलखुंट	दांता	271	0.0450			1457	5.9120	
03	पीपलखुंट	दांता	347	0.3312			1457/10	9.9846	
04	पीपलखुंट	दांता	587/357	0.9600			2070	19.9507	
05	पीपलखुंट	दांता	588/361	0.2500		मियाला	10	13.50	
06	पीपलखुंट	दांता	589/381	0.3300	प्रतापगढ़	आमलीखेरा			
07	पीपलखुंट	दांता	402	0.6800					
08	पीपलखुंट	दांता	412	2.2300					
09	पीपलखुंट	दांता	413	0.7100					
10	पीपलखुंट	दांता	414	0.2000					
11	पीपलखुंट	दांता	415	0.2200					
12	पीपलखुंट	दांता	416	0.2200			429	0.39	
13	पीपलखुंट	दांता	420	0.2200			88	8.51	
14	पीपलखुंट	दांता	421	0.6000			89	7.10	
15	पीपलखुंट	दांता	424	0.5300					
16	पीपलखुंट	दांता	362	5.9500					
17	पीपलखुंट	दांता	376	0.1114					
18	पीपलखुंट	दांता	363	0.9500					
19	पीपलखुंट	दांता	364	3.1861					
20	पीपलखुंट	दांता	613/362	20.4994					
21	पीपलखुंट	दांता	614/634	6.5000					
22	पीपलखुंट	दांता	615/376	25.5459	किता 9			75	
किता 22				74.2490					

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

-|23 55'12.681" N

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियों अन्तर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं PESA Act 1996 नियम 2011 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विहित प्रावधानों की अनुपालना प्रकरण में की जाने उपरान्त प्रस्तावित माईनिंग प्रकरणों को अनुमादित किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा नॉन लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

4. **ग्रामीण सड़क सुहागपुरा से अचलावदा T–11 0/0 KM जव 8/0 KM के मध्य आने वाले वन भूमि रकबा 4.62 हैक्टर के विपथन हेतु लिनियर प्रमाण पत्र तथा प्रत्यावर्तन कार्यवाही :–** इस संबंध में उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समिति पीपलखुंट के पत्र क्रमांक :– राजस्व/2022/271 दिनांक 05.07.2022 के अनुसार उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 05.07.2022 के दौरान अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड़ द्वितीय प्रतापगढ़ (मुख्यालय अरनोद) के पत्र क्रमांक :– 2022–23/46 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार Construction of Upgradation Rural road From T-11 Suhagpura to Achlawada Upto Block Border Road KM 0/0 to 8 /0 KM के मध्य आने वाली वन भूमियों क्रमश : राजस्व ग्राम पठार, कुणी, सुजानपुरा, पनावला, डांगपुरा अन्तर्गत 4.62 हैक्टर वन भूमि वास्ते वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति मोटीखेड़ी/सुहागपुरा द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 20.05.2022 के अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत् कोई दावा लम्बित नहीं है और उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड़ स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति मोटीखेड़ी/सुहागपुरा की सिफारिसों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त क्रम में वन भूमियों के विपथन फल स्वरूप कमी वन भूमि रकबा 4.62 की क्षतिपूर्ति हेतु जिला स्तर पर गठीत फोरेस्ट लैण्ड़ बैंक से गैर–वन भूमियों का प्रत्यावर्तन भी निम्न प्रकार से कर दिया गया है।

क्र. सं.	विपथन हेतु प्रस्तावित वन भूमियों का विवरण				वन भूमियों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्यावर्तित गैर वन भूमियों का विवरण				प्रत्यावर्तन आदेश विवरण
	तहसील क्षेत्र	ग्राम वन भूमि	खसरा संख्या	विपथित रकबा है. में	तहसील क्षेत्र	ग्राम गैर वन भूमि	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तित रकबा है. में	
01	सुहागपुरा	पठार	06	0.6600	छोटीसादड़ी	राजपुरा	21	5.00	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :– राजस्व/ भू आ/2022–23/ 2546–51 दिनांक 17.08.2022
02			274						
03			275						
04			276						
05			293						
06			295						
07		कुणी	207	1.0200					
08			192						
09			191						
10			154						
11			8						
12		सुजानपुरा	03	1.4300					
13			01						
14			314						
15			315						
16			366						
17		पनावला	120	0.8600					
18			335						
19			365						
20			333						
21			121						
22			122						
23			119						
24		डांगपुर	375	0.6500					
	किता 24			4.6200	किता 01			5.00	

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियों वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं PESA Act 1996 नियम 2011 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विहित प्रावधानों की अनुपालना प्रकरण में

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

की जाने उपरान्त प्रस्तावित माईनिंग प्रकरणों को अनुमादित किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

बैठक सहर्ष समाप्त की गई।

(जितेन्द्र मीणा) R.Ac.S
उपायुक्त TAd प्रतापगढ़
सदस्य सचिव
जिला स्तरीय वनाधिकार

(सुनील कुमार) IFS
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़
सदस्य
जिला स्तरीय वनाधिकार

(सौरभ स्वामी) I.A.S
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,
प्रतापगढ़

प्रतिलिपी :– वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. प्रमुख शासन सचिव महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग जयपुर (राज.)
2. आयुक्त महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर (राज.)
3. उप वन संरक्षक प्रतापगढ़
4. उपायुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर (राज.)
5. उपखण्ड़ अधिकारी प्रतापगढ़ / अरनोद / धरियावद / छोटीसादड़ी / पीपलखुंट
6. तहसीलदार प्रतापगढ़ / अरनोद / धरियावद / छोटीसादड़ी / पीपलखुंट / दलोट / सुहागपुरा
7. विकास अधिकारी प्रतापगढ़ / अरनोद / धरियावद / छोटीसादड़ी / पीपलखुंट / दलोट / सुहागपुरा / धमोत्तर
8. क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रतापगढ़ / देवगढ़ / धरियावद / छोटीसादड़ी / पीपलखुंट
9. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड–II मुख्यालय अरनोद जिला प्रतापगढ़
10. ग्राम पंचायत केलामेला / बोरी–पी / चांदौली / सुहागपुरा / सेवानगर
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर
12. गार्ड फाईल

Anx-2
SDLC

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड पीपलखूंट जिला प्रतापगढ

क्रमांक / राजस्व / 2022 / 27।

दिनांक :- 05/07/2022

प्रेषिति

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ़

जिला प्रतापगढ।

विषयः–Construction of Upgradation Rural from T11-Suhagpura to Achalawada Upto Block Border road km 0/0 to 8/0 के मध्य आने वाली वन भूमियों के लियन प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भः–श्रीमान् का पत्रांक / राजस्व / एफ.आर.ए.2006 / 22–23 / 2155–56 दिनांक 23.05.2022

राजस्व
6/7/22
जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि Construction of Upgradation Rural from T11-Suhagpura to Achalawada Upto Block Border road km 0/0 to 8/0 के मध्य आने वाली वन भूमियों के लियन प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में पत्रावली प्राप्त हुई है।

उक्त परियोजना के मध्य में आने वाली वन भूमियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र के गाँवों की ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा दिनांक 20.05.2022 को बैठक का आयोजन कर एन.ओ.सी. जारी की गई। तत्पश्चात् दिनांक 05.07.2022 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का आयोजन कर लियन प्रमाण–पत्र जारी किया गया। जो मूल पत्रावली में संलग्न है।

संलग्नः– मूल पत्रावली

जिला कलक्टर कार्यालय प्रतापगढ़ (राज.)
4673
आवक क्र
दिनांक 7/7/22

(जितू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड पीपलखूंट

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 05.07.2022 को उपखण्ड कार्यालय में Construction of Upgradation rural from T11-Suhagpura to Achalawada Upto Block Boarder road Km 0/0 to 8/0 सड़क निर्माण के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है, अतएव उपरोक्त अनुमोदित प्रस्ताव को उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कर ज़िला स्तरीय समिति के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। इसमें दर्ज विवरण (निम्नानुसार खसरा संख्या) के अनुसार वन भूमिया पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार वन अधिकार अधिनियम का कोई भी दावा लंबित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है तथा उपखण्डं स्तरीय वनाधिकार समिति को Construction of Upgradation rural from T11-Suhagpura to Achalawada Upto Block Boarder road Km 0/0 to 8/0 रोड़ उक्त क्षेत्र से निकालने में कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त विषयानुसार आज दिनांक 05.07.2022 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए –

1 उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ (अध्यक्ष)
2 विकास अधिकारी प्रतापगढ़ (सदस्य सचिव)
3 क्षेत्रिय वनाधिकारी (सदस्य)
4 गणेशलाल मीणा (सदस्य)
5 ....

उक्त विषयानुसार Construction of Upgradation rural from T11-Suhagpura to Achalawada Upto Block Boarder road Km 0/0 to 8/0 रोड़ निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। उक्त रोड़ प्रतापगढ़ जिले के वन विभाग की अधीसूचीत वन–भूमी के राजस्व गॉव मोटीखेडी / सुहागपुरा में से गुजरती हैं।

चूकि रोड़ गुजरने वाला क्षेत्र वन विभाग के अन्तर्गत होने से वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के तहत् व्यक्तिगत दावा एवं सामुदायिक दावा लंबित या प्रक्रियाधीन नहीं है तथा वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहंत् कोई भी दावा प्राप्त नहीं है। इस कार्य के तहत् प्रकरण ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति सुहागपुरा एवं ग्राम सभा डांगपुरा,पठार,

कुणी, सुजानपुरा, पनावला, सुहागपुरा के अनुशंषा के बाद मार्फत विकास अधिकारी प्रतापगढ़ उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति को प्राप्त हुआ है। जिसके खसरा नम्बर निम्नानुसार है।

क्र.स.	खसरा संख्या	ग्राम पंचायत	भूमि प्रकार / मौजूदा स्थिति	वांछित भूमि
1	06,274,275,276,293,295	पठार	अधिसूचीत वन भूमि	0.66
2	207,192,191,154,8	कुणी	अधिसूचीत वन भूमि	1.02
3	03,01,314,315,366	सुजानपुरा	अधिसूचीत वन भूमि	1.43
4	120,335,365,333,121,122,119	पनावला	अधिसूचीत वन भूमि	0.86
5	375	डांगपुरा	अधिसूचीत वन भूमि	0.65

अतः उक्त वन क्षेत्र में वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के तहत् व्यक्तिगत दावा एवं सामुदायिक दावा लंबित या प्रक्रियाधीन नहीं है तथा वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत् कोई भी दावा प्राप्त नहीं है।

अतः कमेटी के बाद पत्रावली के निरीक्षण को वनक्षेत्र में गैर वानिकी कार्य हेतु लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने का प्रकरण उचित पाया गया है।

अतः सर्वसम्मति से लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पत्रावली मय अनुशंषा अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार समिति श्रीमान् जिला कलक्टर को प्रेषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड पीपलखूंट	क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रतापगढ़ (प्रथम श्रेणी)	विकास अधिकारी पंचायत समिति सुहागपुरा 5/7/22

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़

क्रमांक / राजस्व / 2022 / 270 दिनांक :- 04/07/2022

निमित्

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रतापगढ़
2. विकास अधिकारी, सुहागपुरा

विषयः-Construction of Upgradation Rural from T11-Suhagpura to Achalawada Upto Block Border road km 0/0 to 8/0 के सम्बन्ध में।

संदर्भः-श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, प्रतापगढ़ के पत्रांक / राजस्व / एफ.आर. ए.2006 / 22-23 / 2155-56 दिनांक 23.05.2022 के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन-भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ऑन लाईन एम.ओ.ई.एफ के वेब पोर्टल पर प्रस्तुत पत्रावली को प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त सड़क के निर्माण में आने वाला ग्राम डांगपुरा, पठार, कुणी, सुजानपुरा, पनावला, सुहागपुरा में आने वाली वन भूमियों के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 05.07.2022 को पंचायत समिति, सुहागपुरा में प्रातः 11:00 बजे किया जा रहा है। विकास अधिकारी, सुहागपुरा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के सदस्यों को पृथक से सूचना पत्र जारी करें।

अतः आप निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(जितू कुलहरी)
उपखण्ड़ अधिकारी,
उपखण्ड पीपलखूंट

क्रमांक / राजस्व / 2022 / 270 दिनांक :- 04/07/2022

प्रतिलिपीः-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, प्रतापगढ़।

उपखण्ड़ अधिकारी,
उपखण्ड पीपलखूंट

ANX - 3
GPL - 1

ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति

" — " — " —

आज दिनांक 20/05/2022 ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत सुहागपुरा के गांव डागंपुरा एव पनावन्या की ग्राम पंचायत सुहागपुरा द्वारा बैठक आयोजित कि गई।

उक्त समिति के समक्ष वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव सुहागपुरा डागंपुरा, पनावन्या - अचलावदा सड़क मार्ग के चौड़ाईकरण के मध्य आने वाली वन भूमियो के प्रत्यावर्तन प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रस्ताव अनुसार उक्त सड़क निर्माण निर्माण एवं चौड़ाईकरण का कार्य राजस्व गांव डांगपुरा, पनावन्या के खसरा नं. 375 व पनावन्या खसरा नं. 120, 335, 365, 333, 121, 122, 119 पर किया जाना बताया गया है खसरा नं. पर किसी भी व्यक्ति का दावा एवं वना अधिकार अधिनियम 2006 कि धारा 3(1) के तहत व्यक्तिगत दावा एवं सामुदायिक दावा लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है। तथा वनाधिकार, अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत कोई दावा प्राप्त नहीं है।

अतः ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति सुहागपुरा गेरवानि कार्य हेतु लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा करती है तथा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

[signature]

अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वनाधिकारी
समिति

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत सुहागपुरा
पं.स.सुहागपुरा,जि.प्रतापगढ़(राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय ग्राम पंचायत, सुहागपुरा

पं.स. सुहागपुरा, तह. पीपलखूंट, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक GP/सुहागपुरा/2022/165

दिनांक 20/05/2022

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 20/05/22 को ग्राम पंचायत सुहागपुरा की बैठक आयोजित की गई जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रतापगढ़ किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रतापगढ़ के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें उल्लेखित खसरा नं. 375 गाँव डोगपुरा पर वनाधिकार खसरा नं. 120, 335, 365, 333, 121, 122, 119 गाँव पनावला वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के तहत व्यक्तिगत दावा कुलक एंव सामुदायिक दावा लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है। तथा वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत भी कोई दावा लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है उक्त ~~3(2)~~ सड़क के निर्माण एंव चोड़ाईकरण का कार्य वनभूमि पर किया जाता है तो इस ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र आज दिनांक 20/05/2022 को जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
सरपंच
ग्राम पंचायत सुहागपुरा
पं.स.सुहागपुरा,जि.प्रतापगढ़(राज.)

ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति

ग्राम पंचायत सुहागपुरा
पं.स.सुहागपुरा,जि.प्रतापगढ़(राज.)

ANX - 4
GPL - 2

ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति

आज दिनांक 20/05/2024 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत मोटी खेड़ी के गांव पठार, कुणी, सुजानपुरा की ग्राम पंचायत मोटी खेड़ी द्वारा बैठक आयोजित कि गई।

उक्त समिति के समक्ष वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव सुहागपुरा - अचलावदा सड़क मार्ग के चौड़ाईकरण के मध्य आने वाली वन भूमियो के प्रत्यावर्तन प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रस्ताव अनुसार उक्त सड़क निर्माण एवं चौड़ाईकरण का कार्य राजस्व गांव मोटी खेड़ी के गांव पठार के खसरा नं. 06, 274, 275, 276 293, 295, गांव कुणी के खसरा नं. 207, 191, 192, 154, 8, तथा गांव सुजानपुरा के खसरा नं. 03, 01, 314, 315, 366 पर किया जाना बताया गया है। उल्लेखित खसरा नम्बरो को अवलोकित किया गया है जिसमे यह पाया गया है कि खसरा नं. 06, 274, 275, 276, 293, 295, 207, 191, 192 154, 8, 03, 01, 314, 315, 366 पर किसी भी व्यक्ति का दावा एवं वनाधिकार अधिनियम 2006 कि धारा 3(1) के तहत व्यक्तिगत दावा एवं सामुदायिक दावा लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है तथा वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा (3(2) के तहत भी कोई दावा प्राप्त नहीं है

अतः ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति मोटी खेड़ी गैरवानिकि कार्य हेतु लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा करती है तथा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति

(हस्ताक्षर)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मोटीखेड़ी
पं.स.सुहागपुरा (राज.)

(हस्ताक्षर)
सरपंच
ग्राम पंचायत मोटीखेड़ी
पं.स.सुहागपुरा
जिला - प्रतापगढ़ (राज.)

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

कार्यालय, ग्राम पंचायत, मोटीखेड़ी

पंचायत समिति, सुहागपुरा, जिला-प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक/ग्रा.पं./मोटीखेड़ी/ G.P.M/2022-23/76. दिनांक 20-05-2022

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 20/5/2022 को ग्राम पंचायत मोटी खेड़ी की बैठक आयोजित की गई। जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रतापगढ़ के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमे उल्लेखित खसरा नं. 06, 274, 275, 276, 293, 295 गाँव पठार, तथा 207, 192, 191, 154, 8 गाँव कुणी, और 03, 01, 314, 315, 366 सुजानपुरा पर वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के तहत व्यक्तिगत दावा कुलक एवं सामुदायिक दावा लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है। तथा वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत भी कोई दावा लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है। उक्त सड़क के निर्माण एवं चौड़ाईकरण का कार्य वनभूमि पर किया जाता है तो इस ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ती नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र आज दिनांक 20/05/2022 को जारी किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मोटीखेड़ी
पं.स.सुहागपुरा (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत मोटीखेड़ी
पं.स.सुहागपुरा
जिला- प्रतापगढ़ (राज.)

जिला- प्रतापगढ़ (राज.)